राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक- प० 11(27) वन/91 जयपुर, दिनांक 31-3-1994

-:अधिसूचना:-

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) (ख) के अन्तर्गत पशु नीलगाय जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाती है को मारने की अनुमति देने के लिए अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बारां, बूंदी, भरतपुर, सीकर, झुंझुनूं, कोटा, जालोर, नागौर, श्री गंगानगर, दौसा, जोधपुर, टोंक, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली एवं जयपुर जिले के मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप-मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्राधिकृत किया जाता है। इस प्रकार की अनुमति पूर्णरूप से जांच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही जारी की जावेगी।

आज्ञा से,

(सी०एस० भदौरिया)
उप शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

समस्त
(1) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
(2) निजि सचिव, समस्त मंत्रीगण शासन सचिवालय, जयपुर।
(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज० जयपुर।
(4) समस्त मुख्य वन संरक्षक, राज०
(5) सम्बन्धित जिलाधीश।
(6) समस्त वन संरक्षकगण। द्वारा प्रधान मुख्यवन संरक्षक, राज० जयपुर।
(7) समस्त उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रधानमुख्य वन संरक्षक राज० जयपुर।
(8) क्षेत्र निदेशक एवं वन संरक्षक, राष्ट्रीय उद्यान, रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर।
(9) क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना, सरिस्का।
(10) समस्त उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज० जयपुर।
(11) गार्ड फाईल।

सहायक शासन सचिव, वन

राजस्थान सरकार
वन विभाग
-------o-------

क्रमांक:- प0 11(27)वन/91 जयपुर, दिनांक 19-1-1996

:: अधिसूचना ::

वन्य जीव संरक्षण (अधिनियम 1972) (केन्द्रीय अधिनियम-53) की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 11(1)(बी) के अन्तर्गत ऐसी नीलगाय जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिये अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बारां, बूंदी, भरतपुर, सीकर, झुन्झुनू, कोटा, जालोर, नागौर, श्रीगंगानगर, दौसा, जोधपुर, टोंक, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली एवं जयपुर जिले के लिये वन विभाग की पूर्व अधिसूचना संख्या 11(27)वन/91 दिनांक 3-3-94 के द्वारा मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्राधिकृत किया गया था।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अब उक्त अधिनियम की धारा 11(1)(बी) के अन्तर्गत ऐसी नीलगाय जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिये मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक जैसलमेर, तथा बीकानेर को भी प्राधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित जिलों के सम्मुख अंकित प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंजरों को भी प्राधिकृत किया जाता है:-

जिले का नाम	प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंज का नाम
1- अजमेर	ब्यावर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर।
2- अलवर	अलवर, बानसूर, बहरोड़, किशनगढ़बास, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, थानागाजी।
3- बाड़मेर	बायतु, शिव चौहटन, सिवाना, सिन्दाड़ा, धोरीमन्ना, बालोतरा, बाड़मेर।
4- बारां	बारां, किशनगंज, नाहरगढ़, छिपाबड़ौद, अटरू, शाहबाद।
5- बूंदी	नैनवां, डाबी, हिण्डोली, बूंदी, इन्द्रगढ़।
6- भरतपुर	बयाना, नदबई, भरतपुर, सीकरी, डीग।
7- भीलवाड़ा	भीलवाड़ा, माण्डलगढ़, शाहपुरा, जहाजपुर।
8- सीकर	सीकर, नीमकाथाना, श्री माधोपुर, फतेहपुर, दांतारामगढ़।
9- झुन्झुनू	झुन्झुनू, नवलगढ़, चिड़ावा, उदयपुरवाटी, खेतड़ी
10- कोटा	लाडपुरा, [illegible], कनवास, सुल्तानपुर, [illegible]।
11- जालोर	जालोर, [illegible], सांचौर, रानीवाड़ा, [illegible]।
12- नागौर	नागौर, [illegible], कुचामन, परबतसर, लाडनूं।
13- श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर, रावला, विजयनगर, श्री गंगानगर, [illegible], अनूपगढ़, [illegible], पदमपुर, करणपुर, [illegible], सूरतगढ़।
14- दौसा	दौसा, बान्दीकुई, लालसोट, महुवा,

निरन्तर 2/-पर

जिले का नाम	प्रादेशिक टेरीटोरियल रेंज का नाम
15- जोधपुर	जोधपुर, बालेसर, बिलाड़ा, ओसियां, फलौदी, चोखा, [illegible] ।
16- टोंक	देवली, टोंक, मालपुरा, निवाई, उनियारा ।
17- सिरोही	आबूरोड, पिंडवाड़ा, सिरोही, [illegible] ।
18- पाली	पाली, बाली, सोजत, देसूरी, सुमेरपुर, [illegible] ।
19- जयपुर	चाकसू, चौमू, दूदू, जयपुर, शाहपुरा, कोटपूतली, बस्सी, कोटखावदा, आमेर, जमवारामगढ़, [illegible], विराटनगर, जयपुर ।

इस प्रकार की अनुमति पूर्णरूप से जांच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही जारी की जावेगी ।

आज्ञा से,

अतिरिक्त शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- समस्त, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
2- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर।
4- मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज0 जयपुर।
5- समस्त मुख्य वन संरक्षक, राज0 ।
6- सम्बन्धित जिलाधीश ।
7- समस्त वन संरक्षक/[illegible] द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर।
8- समस्त उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज0 जयपुर।
9- वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर, बाघ परियोजना स0माधोपुर ।
10- क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सरिस्का ।
11- समस्त टेरीटोरियल रेंजों द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर।
12- समस्त उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, द्वारा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक राज0 जयपुर।
13- गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त शासन सचिव, वन

गुर्जर/-15-1-96

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प.11(27)वन/ जयपुर, दिनांक 30 APR 1997

:अधिसूचना:

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19.1.96 के क्रम में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा-4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा 11(1)(बी) के अन्तर्गत देशी नीलगाय जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिए निम्नांकित जिलों के सम्मुख अंकित प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंजरों को भी प्राधिकृत किया जाता है:-

जिले का नाम	प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंजों का नाम
1- राजसमंद	राजसमंद, नाथद्वारा, भीम, कुम्भलगढ़, मावली
2- हनुमानगढ़	रावतसर, सादुलशहर, भादरा, हनुमानगढ़, मस्सीवाली, पीलीबंगा, [illegible] नोहर
3- चित्तौड़गढ़	चित्तौड़, भैंसरोड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बेगूं, [illegible], विजयपुर
4- सवाईमाधोपुर	गंगापुर, गुडाचन्द्रजी, खण्डार, सवाईमाधोपुर, बौली, सपोटरा, कैलादेवी
5- धौलपुर	बाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, सरमथुरा

इस प्रकार की अनुमति पूर्ण रूप से जांच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही जारी की जावेगी।

आज्ञा से,
(एस0एन0[illegible])
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- समस्त, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, शासन सचिवालय, जयपुर।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0, जयपुर।
4- मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज0 जयपुर।
5- समस्त मुख्य वन संरक्षक, राज0।
6- [illegible] जिला [illegible]।
7- समस्त वन संरक्षक/[illegible], जयपुर।
8- समस्त उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
9- वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर, [illegible], सवाईमाधोपुर।

निरन्तर 2/-पर

10- क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सरिस्का।
11- समस्त टेरीटोरियल रेंजर्स द्वारा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राज० जयपुर।
12- समस्त उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज० जयपुर।
13- गार्ड फाईल।

(signature)
विशेषाधिकारी, वन

गुर्जर/- 26.4.97

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: एफ0 11(27)वन/91 — जयपुर, दिनांक 31.8.2000

-: अधिसूचना :-

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (सन् 1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53 (की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में पदस्थापित सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के उक्त अधिनियम की अनुसूची-III में उल्लेखित नील गाय (Boselaphus Tragocamelus) के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(लक्ष्मणसिंह)
शासन उप सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निजी सचिव, वन मंत्री, राजस्थान।
2- निजी सचिव, शासन सचिव, वन।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राजस्थान, जयपुर।
5- अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
6- समस्त सम्भागीय आयुक्त।
7- समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
8- समस्त मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक।
9- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
10- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय को दो प्रतियों में असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दो प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
11- रक्षित पत्रावली।

(हीरालाल गुप्ता)